न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहा0कलै0प्र0श्रे0 अतरौली, जिला अलीगढ़

वाद संख्या- टी-20201802(0504262 / 2020

अंतर्गत धारा- 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006

मौजा शफीपुर परगना व तहसील अतरौली, जिला-अलीगढ़

संध्या देवी रामदेव शर्मा बनाम सरकार

नकल आदेश दिनांक 05 / 02 / 2020

प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत प्रार्थीगण रामकुमार पुत्र वासुदेव शर्मा, सत्यवती संजीव, जयमाला देवी, निवासी शफीपुर परगना व तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अतरौली की जांच आख्या दिनांक 05.02.2020 के आधार पर योजित हुआ प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया ग्राम शफीपुर के खाता खतौनी संख्या 00016 के गाटा संख्या 30 क्षेत्रफल 2.5570 है0 भूराजस्व 92 रुपया में से 1.1170 है0 भूमि है, उक्त गाटा में कोई कृषि कार्य आदि नहीं हो रहा है, उक्त भूमि में कुक्कट पालन व मत्स्य पालन व बागवानी के प्रयोग में नहीं आ रही है। जिसे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्राख्यापित किये जाने की प्रार्थना की गयी है, उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार अतरौली ने अपनी आख्या दिनांक 05.02.2020 प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम शफीपुर के खाता खतौनी संख्या 00016 गाटा संख्या 30 क्षेत्रफल 2.5570 है0 लगानी 92 रुपया में से 1.1170 है0 भूमि प्रार्थी द्वारा मौके पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण किया गया है। उक्त गाटा में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त कृषि भूमि कुक्कट पालन एवं मत्स्य पालन व बागवानी के प्रयोग में नहीं आ रही है। जिसे अकृषिक हेतु प्राख्यापन किये जाने हेतु सम्प्रेषित है, संलग्न जोत चकबन्दी आकार पत्र 41-45 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है एवं किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। प्रार्थी द्वारा राजस्व संहिता 2016 के नियमावली 85 के अन्तर्गत धारा 32 क उपधारा (2) के अनुसार प्रार्थी द्वारा रु0 24252/- भारतीय स्टेट बैंक अतरौली में चालान संख्या 132/55 दिनांक 05.02.2020 को जमा किये जा चुके हैं, जिसका चालान पत्रावली पर संलग्न है, मौके पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण है, जिस धारा 80(4) के क्रम में कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं तहसीलदार अतरौली की आख्या दिनांक 05.02.2020 के आधार पर ग्राम शफीपुर के खाता खतौनी संख्या 00016 गाटा संख्या 30 क्षेत्रफल 2.5570 है0 लगानी 92 रुपया से 1.1170 है0 भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्राख्यापित किया जाता है। परवाना अमलदरामद हो दो प्रतियों में तहसीलदार अतरौली को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु भेजी जाये। व आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-05.02.2020

(पंकज कुमार)
उपजिलाधिकारी / सहा0कले0प्र0 श्रेणी
अतरौली (अलीगढ़)